

e-Court training held for data entry operators



Data entry operators attending the training in Principal District Court auditorium.

■ **Staff Reporter**
DURG, Oct 12

UNDER the guidance of Principal District and Sessions Judge K Vinod Kujur, a specialised training programme on the Case Information System (CIS) and the e-Court Project was organised at the Principal District and Sessions Court, Durg, for contractual data entry operators.

Moving beyond general overviews, the session was designed to enhance technology adoption, accuracy and operational efficiency across judicial workflows, reflecting the core principle: 'Accurate data, timely updates and robust systems form the foundation of digital justice'.

During the training programme, Second District and Additional Sessions Judge

Prashant Parashar along with Civil Judge (Senior Division) Ravi Kumar Mahobiya guided participants through the operational mechanics of the CIS and e-Court frameworks.

Attendees received hands-on instruction covering online case registration, maintenance of digital records, real-time case tracking, the deployment of e-Court citizen services and critical technical facets of the CIS software.

It is worth mentioning that the broader objective of CIS and e-Court initiatives is to ensure judicial processes become streamlined, transparent, expedited and citizen-centric. The ultimate aim is not merely adopting technology for administrative convenience but leveraging it to deliver tangible, efficient justice to the common citizen - marking another concrete stride forward for Durg judicial administration.

मानसिक स्वास्थ्य से साइबर सुरक्षा तक, विद्यार्थियों को किया जागरूक



शिविर को संबोधित करते अतिथिगण • जनसंपर्क

नईदुनिया(वि.) दुर्ग : स्वस्थ मन, सुरक्षित बचपन और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। इसमें विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा का अधिकार, साइबर सुरक्षा और निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई। कार्यक्रम प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन और सचिव उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय में हुआ। तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी और अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम सिंह मरकाम ने विद्यार्थियों से संवाद किया।

मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना महत्वपूर्ण है। पढ़ाई का दबाव, परीक्षा की चिंता और असफलता

का डर विद्यार्थियों को प्रभावित कर सकते हैं। परेशानियां छिपाने के बजाय परिवार, मित्रों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 और मानसिक बीमारी व बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के अधिकारों व विधिक संबंधी नालसा की योजना की जानकारी भी दी गई।

शिक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर जोर : शिविर में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा नालसा शिक्षा योजना-2026 के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को अनजान लिंक, फर्जी संदेश और आनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी से बचने के उपाय समझाए गए। ओटीपी, बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी और निजी डिजिटल विवरण अनजान व्यक्ति से साझा न करने की सलाह दी गई।

मन की सेहत से डिजिटल सुरक्षा तक: दुर्ग में विद्यार्थियों को मिला अधिकारों, संवेदनशीलता और सुरक्षित भविष्य का संदेश

श्रमबिन्दु / दुर्ग

स्वस्थ मन, सुरक्षित बचपन और अधिकारों के प्रति जागरूक युवा—एक सशक्त समाज की नींव इन्हीं से बनती है। इसी सोच के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के० विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय में आयोजित इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकार, साइबर सुरक्षा और निःशुल्क विधिक सहायता



जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आयोजित शिविर का उद्देश्य केवल कानून की जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को अपने मन की बात कहने का भरोसा देना, दूसरों की परेशानियों को समझने की संवेदनशीलता विकसित करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना भी था।

कार्यक्रम में तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री यशवंत कुमार सारथी तथा अष्टम

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम सिंह मरकाम ने विद्यार्थियों से संवाद किया।

विद्यार्थियों को बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई का दबाव, परीक्षा की चिंता, असफलता का डर और व्यक्तिगत परेशानियां किसी भी विद्यार्थी को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी स्थितियों में स्वयं को अकेला समझने या परेशानी को छिपाने के बजाय परिवार, मित्रों अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना और आवश्यकता पड़ने पर योग्य

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेना महत्वपूर्ण है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रमुख प्रावधानों के माध्यम से विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों और सम्मानजनक व्यवहार के महत्व से परिचित कराया गया। कार्यक्रम में NALSA की **Legal Services to Persons with Mental Illness & Persons with Intellectual Disabilities Scheme**, 2024 के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके माध्यम से मानसिक बीमारी तथा बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों, संरक्षण और निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में समझाया गया।

विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता पर जागरूकता शिविर

दुर्ग, 12 अक्टूबर (देशबन्धु)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वामी अत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर के समन्वय में आयोजित इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकार एवं साइबर सुरक्षा

और निःशुल्क विधिक सहायता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया। शिविर का उद्देश्य केवल कानून की जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को अपने मन की बात कहने का भरोसा देना, दूसरों की परेशानियों को समझने की संवेदनशीलता विकसित करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना भी था। कार्यक्रम में तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी तथा अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम सिंह मरकाम ने विद्यार्थियों



से संवाद किया।
मानसिक स्वास्थ्य: चुप्पी नहीं, संवाद है समाधान
विद्यार्थियों को बताया गया कि

मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई का दबाव, परीक्षा की चिंताएं असफलता का डर और व्यक्तिगत

परेशानियां किसी भी विद्यार्थी को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी स्थितियों में स्वयं को अकेला समझने या परेशानी को छिपाने के बजाय परिवार एवं मित्रों अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना और आवश्यकता पड़ने पर योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को सहायता लेना महत्वपूर्ण है।

शिक्षा का अधिकार : हर बच्चे के सपनों तक पहुंचने का रास्ता
जागरूकता सत्र में शिक्षा को केवल विद्यालय तक सीमित विषय न मानकर बच्चों के भविष्य और समान अवसरों से जोड़कर प्रस्तुत

किया गया। विद्यार्थियों को नालसा शिक्षा स्कीम 2026 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के संबंध में जानकारी देकर सरल भाषा में समझाया गया कि शिक्षा से बुढ़ेकानूनी प्रावधान बच्चों के अवसरों, समावेशन और शैक्षणिक अधिकारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं।

डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सुरक्षा
ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल भुगतान और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के बीच >>> **शेष पृष्ठ 9 पर >>>**